

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमति सुनिता यादव, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

कन्हैयालाल उर्फ काना पिता गोपाल बावरी निवासी बलाण्ड (शिवपुरी) तहसील शाहपुरा
- वादी

बनाम

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादी

:: वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती ::

मुकदमा नम्बर 62 सन् 2019 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

अभिभाषक वादी के नोट प्रेस किये जाने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 02 माह 08 सन् 2022 को जारी की गई।



(सुनिता यादव)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)